न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 16/512

1. बदरी आत्मज श्री रामचन्द्र जाति मीणा ।
2. रामकिशन आत्मज श्री रामचन्द्र जाति मीणा ।
3. सोपाल आत्मज श्री रामचन्द्र जाति मीणा ।
4. हरिराम आत्मज श्री रामचन्द्र जाति मीणा ।
5. लोडकी बेवा रामचन्द्र जाति मीणा निवासीगण ग्राम पीपरवाला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. पृथ्वीराज आत्मज श्री बाबूलाल जाति मीणा ।
2. हरिकेश आत्मज श्री बाबूलाल जाति मीणा ।
3. कान्ह जी आत्मज श्री बाबूलाल जाति मीणा ।
4. रामहेत आत्मज श्री बाबूलाल जाति मीणा ।
5. बुद्धिप्रकाश आत्मज श्री बाबूलाल जाति मीणा ।
6. श्रीमती मथुरा बाई पत्नी श्री बाबूलाल जाति मीणा ।
7. राजाराम आत्मज श्री गेदीलाल मृतक जरिये कायममुकामान :–
   7/1. जगदीश आत्मज श्री राजाराम ।
   7/2. हनुमान आत्मज श्री राजाराम ।
8. बदरी आत्मज श्री गेंदी लाल ।
9. कन्हैया लाल आत्मज श्री गेंदी लाल निवासीगण ग्राम पीपरवाला, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीपरवाला तहसील नैनवा में आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 17

ा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थी की उक्त भूमि में सदैव पूर्वजों के समय का कदीमी स्ता गॉव से करवर से देई जाने वाली आम सडक को क्रोस करते हुए आराजी खसरा नम्बर 66 में से होकर खसरा नम्बर 59 में प्रवेश कर खसरा नम्बर 59 की पूर्वी मेर के पास में होकर खसरा नम्बर 58 के मध्य में होकर है जो खसरा संख्या 82 में पहुंचता है । उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 82 में आने–जाने का गाडी–बैल, ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि सामान आदि लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में जाने वाले रासते का इन्द्राज खसरा नम्बर 59 व खसरा नम्बर 58 में राजस्व नक्शे में 10 फुट चौडाई में कायम करते हुए इन्द्राज किया जावे मौके पर भी रास्ते की मुस्तकिल सीमाएं कायम की जावे व अप्रार्थीगण क्रम 1 से 6 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वर्णित रास्ते के प्रार्थीगण के द्वारा उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे तथा रास्ते को हमेशा के लिए खुलासा रखें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.10.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए डीएलसी दर से दोगुना राशि अप्रार्थीगण को जमा कराने पर रास्ता कायम करने का निर्णय पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.10.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट ने अपने वकील साहब को नियुक्त किया हुआ था और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा परन्तु उनकी ओर से अपीलान्ट को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.10.2016 को जब अपीलान्ट अपने वकील साहब से पास गया तब हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि शत प्रतिशत आवश्यकता होने पर ही रास्ता कायम किया जा सकता है केवल सुविधा के लिये रास्ता कायम नहीं किया जा सकता । इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित था कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 आराजी खसरा नम्बर 82 पर आने–जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 59, 56, 55, 54, 51, 50 एवं 49 के दक्षिण हिस्से की मेड से होकर आराजी खसरा नम्बर 52, 43 की पूर्वी हिस्से की मेड पर होते हुए आराजी खसरा नम्बर 42, 41 के उत्तरी मेड से अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए रास्ते का उपयोग कर रहे हैं उक्त रास्ता दूर होने की वजह से केवल मात्र अपनी सुविधा के लिए अपीलान्ट के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 58 के मध्य से रास्ता चाहता है । अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 82 की मेड पर होकर

ता कायम कर सकता था जो न कर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से खसरा बर 58 के मध्य से रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आर.बी.जे. (6) 1999 पेज 221, आर.आर.टी. 2016 (1) वेज 649 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 82 में आने–जाने का गाडी–बैल, ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि सामान आदि लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है जिससे रेस्पोडेन्ट को अपने खातेदारी की भूमि पर काश्त करने में परेशानी होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता कायम करने का आदेश पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 82 में आने–जाने का गाडी–बैल, ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि सामान आदि लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है जिससे रेस्पोडेन्ट को अपने खातेदारी की भूमि पर काश्त करने में परेशानी होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने डीएलसी दर के हिसाब दोगुना राशि जमा कराने की शर्त पर नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा